न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 59/2022 दायर दिनांक 03.09.2021

धुकलराम बनाम फूली देवी

प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी.
सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट प्रार्थी –श्री सम्पत सिंह शेखावत
ऐडवोकेट अप्रार्थी – एकपक्षीय

आदेश

दिनांक–29.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं. आदेश 9 नियम 13 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के वाद उनवानी फूली देवी बनाम रामकुमार आदि मुकदमा नम्बर 81/2004 के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2008 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के लिए आवेदक की ओर से प्रा0 पत्र पेश किया है।

वाद उनवानी फूली देवी बनाम रामकुमार आदि जिसका दिनांक 28.04.2008 को प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय हो चुका है जिसमें आवेदक प्रतिवादी नंम्बर 3 के रूप में पक्षकार था। उक्त वाद जब पेश किया था उस समय प्रार्थी कमाने खाने के लिए विदेश गया हुआ था। जिसको दावे के कोई सम्मन प्राप्त नही हुए थे। और प्रार्थी की दिनांक 18.05.2006 को प्रार्थी की चस्पांदगी से तामिल मानकर प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी जिसके बाबत को कोई जानकारी नही थी। उस समय प्रार्थी भारत में मौजूद ही नही था।

प्रार्थी वर्ष 2020 में विदेश से भारत लौटा और लौटने के पश्चात अपना अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त निर्णय व डिक्री आदि की नकले प्राप्त करने की कार्यवाही की जिस पर दिनांक 24.08.2021 को निर्णय व डिक्री के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। इससे पूर्व प्रार्थी को उक्त दावे के बाबत कोई जानकारी नही थी। इसलिए जानकारी के अभाव में न्यायालय में उपस्थित नही हो सका। इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध किये गये एकपक्षीय आदेश कानूनन व तथ्यात्मक रूप से गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी/आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण प्रार्थी उक्त वाद में सुनवाई से वंचित हो गया व प्रार्थी को सुने बिना ही केवल वादीगण की एकपक्षीय सुनवाई की जाकर निर्णय कर दिया गया था जबकि प्रार्थी को सुना जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा उनवानी "फूली देवी आदि बनाम रामकुमार आदि" मुकदमा नम्बर 81/2004 में प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 18.05.2006 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश निरस्त किया जाकर निर्णय व डिक्री 24.08.2008 को निरस्त कर प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिया जाकर प्रार्थी की सुनवाई की जाकर निर्णय करने की कृपा करें।

बहस वकील आवेदक एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी 03 ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि "फूली देवी आदि बनाम रामकुमार आदि" मुकदमा नम्बर 81/2004 में प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 18.05.2006 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 24.08.2008 को निरस्त कर प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिया जाकर प्रार्थी की सुनवाई की जाकर निर्णय किया जावे।

बहस का मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की नोटिस की तामिल उचित रूप से नही हुई है जिससे प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही मिल सका जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपति उचित प्रतीत होती है। प्रार्थीगण को भी प्रकरण में उचित सुनवाई का अवसर नही देने से इसके वैध अधिकारो पर कुठाराधात है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धात को प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 व सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:08:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

13 तथा सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा पारित उनवानी वाद ''फूली देवी आदि बनाम रामकुमार आदि'' मुकदमा नम्बर 81/2004 में प्रार्थी के विरूद्व दिनांक 18.05.2006 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 24.08.2008 को अपास्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:08:57 IST
Reason: SelfAttested